प्रारंभिक परीक्षा

SBI ने वित्त वर्ष 2025 में बॉन्ड के जरिए 50,000 करोड़ रुपये जुटाए

संदर्भ

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान अब तक घरेलू बॉन्ड (domestic bonds) के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

बॉन्ड के प्रकार -

बॉन्ड के प्रकार	विवरण
निश्चित दर (फिक्स्ड रेट) बॉन्ड	बॉन्ड की अवधि के दौरान एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान किया जाता है, जिससे बॉन्ड धारक के लिए एक निश्चित राशि की आय सुनिश्चित हो सके।
फ्लोटिंग-रेट बॉन्ड	ब्याज दर को बाजार की स्थितियों के अनुसार समय-समय पर समायोजित किया जाता है, तथा बाजार दर में परिवर्तन के साथ इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है।
जीरो-कूपन बॉन्ड	ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है; ये अंकित मूल्य पर छूट पर पेश किए जाते हैं, निवेशकों को परिपक्वता पर पूरा अंकित मूल्य मिलता है। इन्हें **डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड(deep discounted bonds)** के नाम से भी जाना जाता है।
परिवर्तनीय बॉन्ड	हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ जो निश्चित ब्याज भुगतान और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्व निर्धारित मूल्य पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान करती हैं।
सतत बॉन्ड/AT-1 बॉन्ड	**इनमें कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती** तथा ये अनिश्चित काल तक निश्चित ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं, जो इनकी स्थिर आय के लिए लोकप्रिय है।
मुद्रास्फीति से जुड़े बॉन्ड	ये मुद्रास्फीति दर के अनुरूप रिटर्न की पेशकश करते है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दरें बढ़ने पर रिटर्न मुद्रास्फीति के साथ गति बनाए रखे।
म्यूनिसिपल बॉन्ड	ये स्थानीय और राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों और राजमार्गों जैसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी किए जाते है; अक्सर कर छूट प्रदान करते हैं और इनकी परिपक्वता अवधि अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती है।
उच्च-प्रतिफल बॉन्ड (High-yield Bonds)	**जंक बॉन्ड** के नाम से भी जाने जाने वाले ये बॉन्ड, निम्न क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं; इनमें डिफॉल्ट की अधिक संभावना के कारण जोखिम अधिक होता है, लेकिन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये अधिक प्रतिफल प्रदान करते हैं।
ग्रीन बॉन्ड	ऋण साधन जो उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निवेशकों से जुटाए गए धन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा कुशल भवन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, स्वच्छ परिवहन आदि जैसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।
मसाला बॉन्ड	**भारत के बाहर भारतीय कंपनियों द्वारा भारतीय रुपये में जारी किए गए ऋण उपकरण। केरल 2019 में मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य था।**

स्रोत:

- [द हिंदू - बैंक ऑफ इंडिया ने दीर्घकालिक बांड के जरिए ₹5,000 करोड़ जुटाए]

MP/MLA अदालत

संदर्भ

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध करने की योजना बना रही है कि वह NIA अदालत को MP/MLA अदालत के रूप में नामित करे, ताकि जम्मू-कश्मीर के एक सांसद से जुड़े आतंकवाद के वित्तपोषण (terror funding) मामले की सुनवाई की जा सके।

MP/MLA अदालतों के बारे में -

- **ये भारत में वर्तमान और पूर्व संसद सदस्यों (सांसदों) और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए स्थापित विशेष अदालतें हैं।**
- ये अदालतें सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चुनावी अपराध और अन्य आपराधिक आरोपों सहित आपराधिक मामलों से निपटती हैं।
- **गठन**: **2017 में**, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सांसदों-विधायकों के लंबे समय से लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की जाएं। इसके बाद, **11 राज्यों में 12 विशेष अदालतें स्थापित की गईं।**

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - प्रासंगिक प्रावधान

- **धारा 8(1):** भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या शत्रुता को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता।
- **धारा 8(3):** 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा होने पर स्वतः अयोग्यता। रिहाई के बाद 6 वर्ष तक अयोग्यता जारी रहती है।
- **धारा 123:** रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव डालना तथा धार्मिक या जातिगत आधार पर अपील जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित करती है।
- **धारा 125:** चुनाव के दौरान अभद्र भाषण देने पर दण्ड का प्रावधान।
- **धारा 125A:** चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 6 महीने तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है।

MP/MLA मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप -

- **2013 (लिली थॉमस बनाम भारत संघ):**
  - जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया गया, जो पहले सांसदों/विधायकों को पद पर बने रहने की अनुमति देती थी, बशर्ते कि वे 3 महीने के भीतर दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील करें।
  - **दोषसिद्धि पर तत्काल अयोग्यता**
- **2017 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ):**
  - लंबित मामलों को कम करने के लिए MP/MLA मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का निर्देश दिया गया।
- **2020:**
  - विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों को निगरानी का अधिकार दिया गया।

स्रोत:

- द हिंदू - एनआईए ने रशीद मामले में विशेष अदालत की शक्तियों में बदलाव की मांग की

पृथक मिथिलांचल की माँग

संदर्भ

बिहार में विपक्षी दलों ने मिथिला राज्य के गठन की अपनी पुरानी मांग दोहराई है।

मिथिलांचल के बारे में -

- **मिथिलांचल एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो पूर्व में महानंदा नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी नदी और उत्तर में हिमालय की तलहटी से घिरा है। (इसमें बिहार, झारखंड और नेपाल के पूर्वी तराई के आसपास के जिले शामिल हैं)**
- मिथिलांचल की माँग पहली बार स्थानीय लोगों द्वारा 1912 में सर जॉर्ज ग्रियर्सन के सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी, जब बिहार बंगाल प्रेसीडेंसी को छोड़कर एक अलग राज्य बनने जा रहा था।
- आधुनिक बिहार में**,** मिथिलांचल में इसके **38** जिलों में से **20** शामिल हैं।
- **पौराणिक महत्व:** रामायण के अनुसार, अयोध्या के राजकुमार राम ने मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह करने के लिए शिव के दिव्य धनुष को तोड़ा था - जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म सीतामढ़ी जिले में हुआ था, जबकि उनके पिता नेपाल के जनकपुर से शासन करते थे।
- **मिथिला की मूल भाषा मैथिली (8वीं अनुसूची की भाषा) है।**
- यह क्षेत्र अपनी **मिथिला चित्रकला** के लिए प्रसिद्ध है, जिसे **मधुबनी कला** के रूप में भी जाना जाता है।

अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की राज्य की माँग

- **असम में बोडोलैंड**: इस क्षेत्र ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और बेहतर आर्थिक विकास के लिए अलग राज्य की माँग की है।
- **विदर्भ**: इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर डिवीजन शामिल हैं।

स्रोत:

- द हिंदू - राबड़ी देवी ने बिहार से अलग मिथिलांचल बनाने की मांग की है

धर्मांतरण और आरक्षण लाभ पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

यह मामला पुडुचेरी की एक ईसाई महिला से संबंधित है, जिसने अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया था, ताकि वह अनुसूचित जाति आरक्षण के तहत सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त कर सके।

संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य -

- **अनुच्छेद 25:**
    - प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने और मानने का अधिकार है।
    - **धर्मांतरण में धार्मिक सिद्धांतों से वास्तविक प्रेरणा प्रतिबिंबित होनी चाहिए, न कि गूढ़ (ulterior) उद्देश्य।**
- **आरक्षण नीति**:
    - कोटा लाभ सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
    - झूठे धर्मांतरण दावों के माध्यम से इस नीति का दुरुपयोग संविधान और समाज दोनों के साथ धोखाधड़ी है।

स्रोत:

- [नौकरी पाने के लिए धर्म परिवर्तन करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है: सुप्रीम कोर्ट]

कार निर्माताओं पर उत्सर्जन जुर्माना

संदर्भ

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अनिवार्य फ्लीट उत्सर्जन स्तर को पार करने वाली हुंडई, किआ, महिंद्रा और होंडा सहित आठ वाहन निर्माताओं की पहचान की है। **CAFE मानदंडों का पालन न करने पर कुल ₹7,300 करोड़ का जुर्माना लग सकता है।**

कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंड -

- **CAFE मानदंड विनियामक मानक हैं जिनका उद्देश्य ईंधन दक्षता में सुधार लाना और ऑटोमोटिव क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को कम करना है।**
- **उद्देश्य:**
    - वाहन निर्माताओं को ईंधन कुशल और कम उत्सर्जन वाले वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
    - इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), हाइब्रिड और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) कारों जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
    - विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) CAFE मानदंडों की देखरेख करता है। (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत लागू)**
- **दायरा:**
    - 3,500 किलोग्राम से कम सकल भार वाले यात्री वाहनों पर लागू, जिनमें शामिल हैं:
        - पेट्रोल और डीजल वाहन।
        - तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और सीएनजी वाहन।
        - इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन।
- **ईंधन और उत्सर्जन लक्ष्य**
    - **चरण I (2017-2022):**
        - **ईंधन खपत:** प्रति 100 किमी 5.5 लीटर से कम।
        - **CO_2 उत्सर्जन:** 130 ग्राम/किमी से कम.
    - **चरण II (2022 से आगे):**
        - **ईंधन खपत**: प्रति 100 किमी 4.78 लीटर से कम।
        - **CO_2 उत्सर्जन**: 113 ग्राम/किमी से कम.

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - हुंडई, महिंद्रा और 6 अन्य पर 7,300 करोड़ रुपये का उत्सर्जन जुर्माना लग सकता है]

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

संदर्भ

हाल ही में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** ने राष्ट्रीय अभियान "**बाल विवाह मुक्त भारत**" का शुभारंभ किया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- मंत्रालय ने **बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल** का भी उद्घाटन किया।
    - यह पोर्टल एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिकों को सक्षम बनाता है:
        - बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने में
        - बाल विवाह से संबंधित शिकायत दर्ज करने में
        - **देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPO)** के बारे में विवरण प्राप्त करने में

तथ्य

- **बाल विवाह में कमी**: बाल विवाह निवारण अधिनियम**, 2006** के अधिनियमित होने के बाद**, 2006** और **2019-21** के बीच भारत में बाल विवाह की दर **47.4%** से घटकर **23.3%** हो गई।
    - पिछले वर्ष 2 लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए।
- **भारत में बाल विवाह का प्रचलन:** भारत में पाँच में से एक लड़की का विवाह अभी भी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है।
- **जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार**: 2014-15 में 918 से 2023-24 में 930 तक।
- **बाल विवाह की उच्च दर वाले राज्य**:
    - पश्चिम बंगाल (41.6%), बिहार (40.8%), त्रिपुरा (40.1%), राजस्थान, झारखंड, असम और आंध्र प्रदेश।

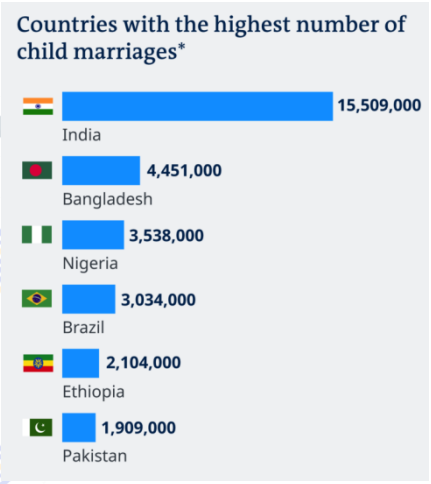

यूनिसेफ रिपोर्ट (2023)

- **विश्व की तीन में से एक बाल वधु भारत में रहती है।**
- भारत में बचपन में विवाह करने वाली लड़कियों और महिलाओं में से आधे से अधिक पाँच राज्यों में रहतीं हैं: उत्तर प्रदेश (सबसे ज़्यादा), बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
- बचपन में विवाह करने वाली अधिकांश युवतियों ने किशोरावस्था में ही बच्चों को जन्म दिया।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के संदर्भ में -

- इस अधिनियम का उद्देश्य, कुछ कार्यों को दंडनीय बनाकर और इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करके, बाल विवाह को रोकना है।
- इसने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया।
- **मुख्य परिभाषाएँ**
    - **बालक (child):**
        - **पुरुष:** 21 वर्ष से कम।
        - **महिला:** 18 वर्ष से कम।
    - **बाल विवाह:** ऐसा विवाह, जहां दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष बालक (child) हो।
    - **नाबालिग:** वयस्कता अधिनियम, 1875 के अंतर्गत नाबालिग की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

- **दंड:**
  - बाल विवाह के लिए दंड है:
    - 2 वर्ष तक का कठोर कारावास।
    - ₹1 लाख तक का जुर्माना।
    - या दोनों।
  - ये अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होते हैं।
- **दंड के पात्र व्यक्ति:**
  - **विवाह में सम्मिलित व्यक्ति:** बाल विवाह का प्रदर्शन, संचालन, निर्देशन या प्रोत्साहन करने वाला कोई भी व्यक्ति।
  - **वयस्क पुरुष (18 वर्ष से अधिक):** यदि वे किसी बच्चे से विवाह करते हैं (धारा 9 के अनुसार)।
  - **बच्चे के प्रभारी व्यक्ति:** इसमें माता-पिता, अभिभावक या बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने वाले संगठनों का कोई सदस्य शामिल है।

स्रोत:

- पीआईबी: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान शुरू किया
- यूनिसेफ: बाल विवाह को समाप्त करना: भारत में प्रगति का विवरण
- द हिंदू: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना है कि एक साल में करीब दो लाख बाल विवाह रोके गए।

समाचार संक्षेप में

सबल-20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन

- **सबल-20 लॉजिस्टिक ड्रोन को पूर्वी क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। इन्हें EndureAir Systems से प्राप्त किया जाता है।**
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
  - 20 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता वाला इलेक्ट्रिक मानवरहित हेलीकॉप्टर।
  - लंबी दूरी की डिलीवरी और उच्च ऊंचाई वाले संचालन का समर्थन करता है।
  - ऊबड़-खाबड़ इलाकों में सटीक लॉजिस्टिक के लिए उपयुक्त।
- **तकनीकी:**
  - सीमित एवं ऊबड़-खाबड़ इलाकों के लिए **वर्टिकल टेक-ऑफ एवं लैंडिंग (VTOL)।**
  - **कम RPM डिजाइन:** शोर को कम करता है, संवेदनशील मिशनों के लिए गुप्तता को बढ़ाता है।

स्रोत:

- द हिंदू - भारतीय सेना को पूर्वी क्षेत्र में उपयोग के लिए रसद ड्रोन प्राप्त हुए

नया पम्बन ब्रिज

- **यह भारत का पहला वर्टिकल-लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है।**
- यह पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम को तमिलनाडु में मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ता है।
- **यह भारत के पहले समुद्री पुल, प्रतिष्ठित पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जो 1914 में खुला था।**
- नया पुल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर बनाया जा रहा है।

स्रोत:

- द हिंदू - सुरक्षा अधिकारी ने नए पंबन पुल पर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी, लेकिन 'खामियों' की ओर ध्यान दिलाया

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)

- **2024 OPCW द हेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद (ICC) को प्रदान किया गया**
- OPCW एक **अंतर-सरकारी संगठन है और रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC)** के लिए कार्यान्वयन निकाय है। यह रासायनिक हथियारों और उनके उपयोग के खतरे को खत्म करने के लिए काम करता है। **(मुख्यालय - द हेग, नीदरलैंड)**
- **2013 में, OPCW को रासायनिक हथियारों के उन्मूलन में अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।**

रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC)

- यह एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और एक निश्चित समयावधि के भीतर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता रखती है। यह **1997 में लागू** हुई थी।
- **वर्तमान में CWC में 193 राज्य दल शामिल हैं। (भारत ने 1996 में CWC की पुष्टि की थी)**

स्रोत:

- पीआईबी - भारतीय रासायनिक परिषद ने 2024 OPCW-द हेग पुरस्कार जीता

डिजिटल भारत निधि (DBN)

- **डिजिटल भारत निधि सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी चार्ज करके उत्पन्न धन का एक पूल है।**
- इसने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान लिया है, जिसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित किया गया था।
- **'दूरसंचार अधिनियम, 2023'** के अनुसार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, डिजिटल भारत निधि बन गई है।
- **DBN के कार्य:** वंचित ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की पहुंच और वितरण को बढ़ावा देना।
- **डिजिटल भारत निधि की कार्यप्रणाली:**
    - दूरसंचार कम्पनियों द्वारा DBN के लिए किया गया योगदान सबसे पहले भारत की समेकित निधि (CFI) में जमा किया जाएगा।
    - केन्द्र सरकार एकत्रित धनराशि को समय-समय पर DBN में जमा करेगी।

स्रोत:

- [पीआईबी - डिजिटल भारत निधि]

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स(NRI) 2024

- **NRI 2024 रिपोर्ट के अनुसार** भारत ने अपनी स्थिति में 11 पायदान का सुधार किया है और **अब वह 49वें स्थान पर है।(वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग 60वीं थी)।**
    - भारत निम्न-मध्यम आय वाले देशों में भी वियतनाम से पीछे दूसरे स्थान पर है।
- **NRI यह मापता है कि देश सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने के लिए कितने तैयार हैं।**
- यह चार क्षेत्रों में देशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है **: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव।**
- **जारीकर्ता:** पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, एक गैर-लाभकारी शैक्षणिक संस्थान (वाशिंगटन डीसी)।

स्रोत:

- [पीआईबी - नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024]

ई-दाखिल पोर्टल

- **यह उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए एक अभिनव ऑनलाइन मंच है। इसे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।**
- **द्वारा लॉन्च किया गया:** राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा 2020 में जारी किया गया।
    - NCDRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक **अर्ध न्यायिक आयोग** है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019** के ढांचे के तहत काम करता है।
- **ई-जागृति पोर्टल:** सरकार ई-जागृति पोर्टल पर काम कर रही है, जो केस दाखिल करने, ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाएगा।

सफलता की कहानियाँ

- **संबलपुर जिला आयोग:** जनवरी, 2024 में, एक शिकायतकर्ता को दोषपूर्ण हीरो इलेक्ट्रिक अटरिया के लिए मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 5,000 रुपये मिले।

- **अंडमान जिला आयोग:** एक शिकायतकर्ता से असफल यूपीआई लेनदेन के कारण ईंधन के लिए दो बार शुल्क लिया गया था, उसे 3,980 रुपये रिफंड के साथ 6% ब्याज और मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये दिए गए।

स्रोत:

- पीआईबी - केंद्र ने ई-दाखिल लॉन्च किया

गोरखपंथी संप्रदाय

- गोरखपंथी संप्रदाय गोरखनाथ की शिक्षाओं से जुड़ा एक धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन है।
- **गोरखपंथियों को व्यापक नाथपंथी परंपरा की एक शाखा माना जाता है**
- **उत्पत्ति और दार्शनिक आधार**
  - **गुरु मत्स्येन्द्रनाथ का प्रभाव**:
    - **नाथ परम्परा की शुरुआत मत्स्येन्द्रनाथ ने की थी, जिसमें तांत्रिक शैववाद और तंत्र-प्रेरित बौद्ध धर्म का सम्मिश्रण था।**
  - **गुरु गोरखनाथ की भूमिका**:
    - मत्स्येन्द्रनाथ के एक प्रमुख शिष्य **गोरखनाथ** (11वीं-12वीं शताब्दी) ने इस परंपरा को और विकसित किया।
    - उन्हें आत्म-अनुशासन (योग) और समावेशी आध्यात्मिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने जाति-आधारित और कर्मकांड संबंधी बाधाओं को खारिज कर दिया।
    - उनकी शिक्षाओं में समानता पर जोर दिया गया, जिसमें मुसलमानों और निचली जाति के हिंदुओं सहित विविध पृष्ठभूमि के अनुयायी शामिल थे।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - असली गोरखपंथी

नैनोजाइम्स(Nanozymes)

- **नैनोजाइम्स नैनोमटेरियल का एक वर्ग है जिसमें एंजाइम जैसी उत्प्रेरक गतिविधियां होती हैं।**
- उनकी उत्प्रेरक गतिविधियों के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ऑक्सीडोरिडक्टेस, हाइड्रोलेस, आइसोमेरेज़ और सिंथेस।
- **पारंपरिक एंजाइमों की तुलना में लाभ:**
  - **स्थिरता:** नैनोज़ाइम अत्यधिक स्थिर होते हैं और इन्हें कठोर वातावरण में भी इस्तेमाल किया जा सकता है
  - **कम लागत, उच्च स्थायित्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन।**
  - **चिकित्सीय क्षमता**
- **अनुप्रयोग:** नैनोजाइम का उपयोग कैंसर, सूजन संबंधी बीमारियों, न्यूरोडीजेनेरेटिव और तंत्रिका संबंधी विकारों, जीवाणु, फंगल और वायरल संक्रमण, घावों और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से जुड़े रोगों के खिलाफ चिकित्सा के रूप में किया गया है।

स्रोत:

- पीआईबी - नैनोजाइम जैवपदार्थों को रूपांतरित कर सकते हैं

मंगल के चन्द्रमा

- मंगल के दो चंद्रमा हैं - **फोबोस और डेमोस।**

- **मंगल ग्रह के चन्द्रमाओं के बारे में तथ्य:**
    - दोनों चन्द्रमा अनियमित आकार के हैं तथा गड्ढों से ढके हुए हैं।
    - वे चट्टान और लोहे से बने हैं और सौरमंडल के सबसे छोटे चंद्रमाओं में से हैं।
    - ऐसा माना जाता है कि वे हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक गठन से प्राप्त क्षुद्रग्रह या मलबे हैं।
    - **फ़ोबोस धीरे-धीरे मंगल के करीब पहुँच रहा है। लगभग 50 मिलियन वर्षों में, यह या तो ग्रह से टकराएगा या विघटित हो जाएगा, जिससे संभवतः मंगल के चारों ओर एक वलय बन जाएगा।**

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - मंगल ग्रह के चंद्रमा और क्षुद्रग्रह विनाश

भारत-रूस व्यापार में वृद्धि

- **पिछले पांच वर्षों में** भारत-रूस व्यापार पांच गुना बढ़ गया है।
- रूस और भारत **2030 तक 100 बिलियन डॉलर के महत्वाकांक्षी व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।**

स्रोत:

- द हिंदू - भारत-रूस व्यापार चिह्नों में पिछले पांच वर्षों में पांच गुना वृद्धि

अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA)

- **FCPA एक भ्रष्टाचार विरोधी कानून है जिसे 1977 में विदेशों में अमेरिकी व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था।**
- इसे न्याय विभाग (DOJ) और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) द्वारा लागू किया जाता है।

FCPA की मुख्य विशेषताएं

- **रिश्वतखोरी का निषेध:** यह कानून व्यापार हासिल करने या बनाए रखने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी अधिकारियों को किसी भी मूल्यवान वस्तु की पेशकश, भुगतान, वादा या अधिकृत करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- **आवेदन का दायरा - कौन शामिल है?**
    - **अमेरिकी व्यक्ति और कंपनियां:** इसमें अमेरिका में या वहां से काम करने वाले नागरिक, निवासी और निगम शामिल हैं
    - **विदेशी कम्पनियां एवं नागरिक:** यदि उनकी गतिविधियों का संबंध अमेरिका से है, जैसे कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करना।
    - **सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां:** अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी कंपनियां FCPA के लेखांकन प्रावधानों के अधीन हैं।
- **अधिकार क्षेत्र:** यह विश्व में कहीं भी की जाने वाली कार्रवाइयों पर लागू होता है, यदि उनमें अमेरिकी संस्थाएं या उनके एजेंट शामिल हों।

स्रोत:

- द हिंदू - रिश्वतखोरी 'योजना' के अमेरिकी निष्कर्षों में उलझे अडानी

संपादकीय सारांश

खराब वायु गुणवत्ता के मामले में भारत में स्कूली शिक्षा

संदर्भ

- नवंबर 2024 के मध्य में, दिल्ली राज्य के स्कूलों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत कक्षाओं से ऑनलाइन कक्षाओं में परिवर्तन करने का निर्देश दिया गया था।
- यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद जारी किया गया था, तथा यह वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की चिंता से प्रभावित था।

स्कूल बंद होने से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **स्कूल बनाम घर में वायु गुणवत्ता:** कई बच्चे स्कूल की तुलना में घर पर समान या बदतर वायु गुणवत्ता का अनुभव करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** वंचित बच्चों को वायु शोधक उपकरणों से सुसज्जित स्कूलों में बेहतर वायु गुणवत्ता का लाभ मिलता है।
- **सामाजिक और भावनात्मक विकास**: स्कूल सहकर्मी संपर्क और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आभासी व्यवस्थाओं में काफी हद तक अनुपस्थित हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वास्तविक समय की सहभागिता को कम कर देते हैं, जिससे शिक्षकों के लिए छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।
- **पोषण संबंधी हानि**: मध्याह्न भोजन पर निर्भर बच्चे इस महत्वपूर्ण पोषण संबंधी सहायता तक पहुंच खो देते हैं।
- **स्क्रीन समय में वृद्धि**: ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छोटे बच्चे हानिकारक स्क्रीन समय के संपर्क में आते हैं।

स्कूलों में खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए सुझाव

- **भौतिक कक्षाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना:** सीखने की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्कूलों को AQI स्तरों की परवाह किए बिना कार्यात्मक बने रहना चाहिए।
    - **शमन के उपाय:**
        - जब AQI खराब हो तो स्कूलों में बाहरी गतिविधियाँ पूरी तरह रोक दें।
        - आयु और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर एयर प्यूरीफायर और फेस मास्क के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
        - पहले से ही श्वसन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त बच्चों को मास्क पहनने से लाभ प्राप्त करने का अवसर दें, विशेष रूप से प्रदूषित स्थानों में।
- **स्वास्थ्य-केंद्रित निवारक उपाय:** पहले से मौजूद श्वसन या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करें।
    - नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई को बढ़ावा दें।
    - टीकाकरण को प्रोत्साहित करें, जिसमें शामिल हैं:
        - वार्षिक इन्फ्लूएंजा टीकाकरण.
        - आयु-उपयुक्त टीके जैसे न्यूमोकोकल, खसरा, और हेमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी (एचआईबी)।

स्रोत: द हिंदू: खराब वायु गुणवत्ता के मामले में भारत में स्कूली शिक्षा

भारत में चुनाव प्रणाली का विकास

संदर्भ

26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। इसके लागू होने के बाद से संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू चुनावी शुचिता की सुरक्षा है।

संविधान का निर्माण

- **प्रारूपण की अवधि:** भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को **2 वर्ष, 11 महीने और 17 दिन लगे।**
- **प्रस्तावित संशोधन:** मसौदे में कुल **7,635 संशोधन प्रस्तावित किये गये।**
- **अंतिम दस्तावेज़**: संविधान में प्रारंभ में **395 अनुच्छेद** और **8 अनुसूचियाँ शामिल थीं।**
- संविधान को **26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया**।
    - संविधान सभा ने संविधान के अधिनियमन से 2 महीने पहले इसके **16 अनुच्छेदों को अधिनियमित किया था। जैसे,** अनुच्छेद 324
- **अधिनियमित**: 26 जनवरी, 1950

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) -

- भारतीय चुनाव आयोग(ECI) को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- यह चुनाव के सभी पहलुओं का प्रबंधन करता है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव अभियानों का पर्यवेक्षण और परिणाम घोषित करना शामिल है।
- **ECI के काम में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन की देखरेख शामिल है।**
- यह आदर्श आचार संहिता भी जारी करता है जो चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नैतिक आचरण के बारे में मार्गदर्शन देता है।

अनुच्छेद 324 से 329, भाग XV

- **अनुच्छेद 324:** यह स्थापित करता है कि संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और उनके संचालन का **अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है।**
    - **अनुच्छेद 324(2)**: चुनाव आयुक्तों के लिए सेवा शर्तों और नियुक्ति प्रक्रिया का कानून बनाने हेतु संसद से अपेक्षा की गई।
- **अनुच्छेद 325**: यह अनिवार्य करता है कि **मतदाता सूची में** भारत के सभी नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए, जो मतदान करने की आयु से ऊपर हैं, बिना किसी जाति, नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव के।
- **अनुच्छेद 326:** यह अनिवार्य करता है कि लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है।
- **अनुच्छेद 327: संसद को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संचालन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है**, जिसमें मतदाता सूची का निर्माण, मतदान का तरीका और चुनाव प्रशासन के लिए तंत्र शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 328:** यह राज्य विधानसभाओं को अनुच्छेद 327 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य **विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।**

- **अनुच्छेद 329**: यह संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों की वैधता से संबंधित मामलों में **न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है**, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां संसद द्वारा बनाया गया कानून ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है।

चुनाव प्रणाली में खामियां

- **राजनीति का अपराधीकरण**: 2024 के लोकसभा चुनाव में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं।
- **चुनावों में काला धन**: राजनीतिक दान और व्यय पर विनियमन का अभाव।
- **अप्रभावी दलबदल विरोधी कानून**: दसवीं अनुसूची (1985) के बावजूद खरीद-फरोख्त और राजनीतिक दलबदल जारी है।
- **स्वतंत्रता का अभाव**: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और हटाने में मजबूत सुरक्षा उपायों का अभाव है।
- **प्रतिनिधित्व में लैंगिक अंतर**: प्रगति के बावजूद, महिला उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों की संख्या कम बनी हुई है।

लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी

- **संवैधानिक प्रावधान**: अनुच्छेद 326 शुरू से ही महिलाओं को समान मताधिकार प्रदान करता है।
- **लिंगानुपात में सुधार**:
  - **2024 के आम चुनाव**: पंजीकृत मतदाताओं का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 948 महिलाओं तक सुधर गया, जो 2019 में 928 था।
  - मतदाता मतदान में लैंगिक अंतर समाप्त हो गया है, 2024 में 36 में से 19 राज्यों में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं मतदान करेंगी।
- **आरक्षण**: सरकार द्वारा पारित कानून के अनुसार **लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य है, जो 2029 के चुनावों** से प्रभावी होगा।
- **ममता बनर्जी की पहल**: 2019 में उनकी पार्टी के 41% लोकसभा टिकट महिलाओं को आवंटित किए गए, जिनमें से नौ निर्वाचित हुईं।

चुनाव आयोग से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के मामले

- **भारत संघ बनाम एडीआर (2003)**: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को लोकतंत्र के लिए आवश्यक घोषित किया गया।
- **पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2003)**: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को **संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई**।
- **नोटा निर्णय (2013)**: मतदाताओं के लिए "इनमें से कोई नहीं" विकल्प प्रस्तुत किया गया।
- **मोहिंदर सिंह गिल बनाम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (1977)**: इस सिद्धांत को पुष्ट किया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संसदीय प्रणाली का मूल आधार हैं।
- **चुनावी बांड मामला (2024)**: सुप्रीम कोर्ट ने **चुनावी बांड को "असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना" करार देते हुए रद्द कर दिया**, जिससे चुनावी प्रक्रिया में क्रोनी पूंजीवाद पर रोक लग गई।

खामियों से निपटने के उपाय

- **चुनावों का राज्य वित्तपोषण**: चुनावी प्रदर्शन के आधार पर आवंटन के साथ कर-मुक्त दान के लिए एक **स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव कोष की शुरुआत की जाए।**
- **राजनीतिक व्यय का विनियमन**: व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीमा के समान राजनीतिक दलों के लिए भी व्यय सीमा लागू करना।
- **दलबदल विरोधी कानून को मजबूत बनाना**: खामियों को दूर करने तथा दलबदल को अधिक प्रभावी ढंग से दंडित करने के लिए दसवीं अनुसूची को संशोधित करना।

- **नियुक्ति सुरक्षा उपाय:** चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक **स्वतंत्र और निष्पक्ष कॉलेजियम की स्थापना की जाएगी।**
    - चुनाव आयुक्तों को मनमाने ढंग से हटाए जाने से सुरक्षा प्रदान करना।
- **उन्नत निर्वाचन साक्षरता**: मतदाता हेरफेर को कम करने और नैतिक मतदान प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए मतदाता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देना।
- **सक्रिय न्यायिक भूमिका**: चुनावी कदाचार के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- **बेहतर प्रतिनिधित्व: संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण** के कार्यान्वयन में तेजी लाना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस: ग्रेटेस्ट शो मस्ट गो ऑन]

इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम समझौता

संदर्भ

इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा 13 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हो गया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- यह युद्धविराम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 की नकल है, जिसे 2006 के संघर्ष के बाद अपनाया गया था।
- इस समझौते में एक महत्वपूर्ण नवीनता यह है कि लेबनान, इजरायल और **UNIFIL** की त्रिपक्षीय व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस को भी शामिल कर लिया गया है, जो UNSCR 1701 के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

संकल्प 1701 क्या है?

Figure 1

Figure 1: UNSCR 1701 Zone in Southern Lebanon

Note: According to UNSCR 1701, the area between the Blue Line and the Litani River should be free from any armed personnel, assets, and weapons except for those of the government of Lebanon and UNIFIL.

Source: CSIS creation.

CSIS | TRANSNATIONAL THREATS PROJECT

- **इसका उद्देश्य हिजबुल्लाह और इज़राइल के बीच शत्रुता को समाप्त करना है, और एक बफर ज़ोन के निर्माण के साथ-साथ एक स्थायी युद्धविराम का आह्वान करना है।**
- इस प्रस्ताव का मतलब 2000 में दक्षिणी लेबनान से 'ब्लू लाइन' और इजरायल द्वारा कब्जाए गए गोलान हाइट्स से इजरायली सेना की वापसी को पूरा करना था।
- माना जाता है कि हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर में, इज़राइल को ब्लू लाइन के दक्षिण में पीछे हटना होगा, जबकि लेबनानी सेना दक्षिण लेबनान में दोनों के बीच एकमात्र सशस्त्र बल के रूप में शेष रहेगी।

इजराइल इस समझौते पर क्यों सहमत है?

- **ईरान पर ध्यान केंद्रित करना**: युद्ध विराम से इजरायल को क्षेत्र में ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।
    - ईरान को हमास और हिजबुल्लाह दोनों का प्राथमिक समर्थक माना जाता है, तथा इसके व्यापक रणनीतिक खतरे से निपटने के लिए संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है।
- **सैन्य पुनःपूर्ति**: युद्ध विराम से इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) को गाजा और दक्षिणी लेबनान दोनों में गहन अभियानों के बाद आपूर्ति को पुनःपूर्ति करने और पुनर्गठन के लिए एक "विराम" मिलता है।
    - हमास और हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूहों के खिलाफ एक साथ सैन्य कार्रवाई जारी रखने से सैन्य संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
- **मोर्चा पृथक्करण**: एक विरोधी को अस्थायी रूप से संघर्ष से बाहर निकालकर, इजराइल पूर्ण पैमाने पर बहु-मोर्चा युद्ध के जोखिम से बच सकता है।
    - हिजबुल्लाह के खतरे का समाधान करने या उसे नियंत्रित करने से गाजा सहित अन्य मोर्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।
- **लेबनान के अतीत से सबक**: लेबनान में इजरायल के पिछले सैन्य अनुभवों ने अति विस्तार के खतरों को प्रदर्शित किया है।
    - लेबनान में लम्बे समय तक उपस्थिति के कारण प्रायः प्रतिरोध और रणनीतिक असफलताएं बढ़ी हैं, जिनमें हिजबुल्लाह जैसे समूहों के लिए समर्थन में वृद्धि भी शामिल है।
    - सीमित सहभागिता इस जोखिम को कम करती है।

समग्र क्षेत्र के लिए इसका क्या अर्थ है?

- **क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में बदलाव**: दक्षिणी लेबनान में अमेरिकी उपस्थिति को ईरान द्वारा स्वीकार करना तथा अरब पड़ोसियों के साथ मेल-मिलाप पर ध्यान केन्द्रित करना, इसकी क्षेत्रीय रणनीति में पुनः परिवर्तन का संकेत देता है।
    - यह ईरान-इज़राइल तनाव में अस्थायी कमी का संकेत है, जिससे तेहरान को हिज़्बुल्लाह जैसी अपनी रणनीतिक परिसंपत्तियों को संरक्षित करते हुए आर्थिक सुधार और कूटनीतिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
- **इजरायल का रणनीतिक पुनर्विन्यास**: युद्ध विराम इजरायल को सीरिया, इराक और यमन सहित पूरे क्षेत्र में अन्य ईरानी प्रॉक्सी की ओर सैन्य संसाधनों और ध्यान को पुनर्निर्देशित करने में सक्षम बनाता है।
    - इससे इन क्षेत्रों में तनाव बढ़ सकता है तथा व्यापक मध्य पूर्वी भू-राजनीति प्रभावित हो सकती है, विशेष रूप से सीरियाई और ईरानी गठबंधनों पर।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस: इजरायल-हिजबुल्लाह युद्धविराम समझौता]

वैल्यू एडिशन(Value Addition)

प्लास्टिक संधि पर देशों का रुख

संदर्भ

प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) का 5वां सत्र, कोरिया गणराज्य के बुसान में चल रहा है।

तथ्य

- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (**OECD)** के अनुसार, नीतिगत परिवर्तनों के बिना, वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन वर्ष **2040** तक **736** मिलियन टन तक पहुँचने वाला है, जो कि **2020** से **70%** अधिक है।
- ब्राज़ील, चीन, भारत और अमेरिका, विश्व के प्लास्टिक अपशिष्ट में **60%** का योगदान करते हैं।

भारत का रुख़

- **लागत के लिए मुआवज़ा:** भारत इस बात पर बल देता है कि, विकासशील देशों को प्लास्टिक पर नियंत्रण उपायों का पालन तभी करना चाहिए, जब उन्हें संबंधित लागत के लिए मुआवज़ा प्रदान किया जाए।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** जलवायु परिवर्तन वार्ता के सिद्धांतों से प्रेरित होकर, भारत सतत प्लास्टिक प्रौद्योगिकियों को विकसित से विकासशील देशों में स्थानांतरित करने का आह्वान करता है। ऐसे स्थानांतरण में राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।
    - भारत का प्रस्ताव व्यक्तिगत देशों के अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक एवं विकासात्मक संदर्भों के साथ, वैश्विक उपायों को संरेखित करने के महत्व पर बल देता है।
- **बहुपक्षीय कोष का निर्माण:** भारत ने एक नये बहुपक्षीय कोष की स्थापना का प्रस्ताव दिया है:
    - इसमें योगदान अन्य वित्तीय तंत्रों से "अतिरिक्त एवं विशिष्ट" होना चाहिए।
    - इस कोष को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और सतत प्लास्टिक उत्पादन तथा उपभोग की ओर एक उचित संक्रमण का समर्थन करना चाहिए।
    - इस प्रस्तावित कोष को वित्तीय और तकनीकी सहायता तंत्रों के निष्पक्ष कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, एक सहायक निकाय द्वारा शासित किया जाना चाहिए।
- **अपरिभाषित प्रमुख अवधारणाएँ:** भारत ने "नियंत्रण उपाय," "लागत," और यहां तक कि "प्लास्टिक" की परिभाषा जैसे प्रमुख शब्दों में स्पष्टता की कमी को प्रकट किया है तथा व्यापक परिभाषाओं की आवश्यकता पर बल दिया है।

अन्य देशों का रुख

- संयुक्त राज्य अमेरिका, अनिवार्य कार्यों के स्थान पर स्वैच्छिक कदम उठानें की वकालत करता है।
- नॉर्वे, रवांडा सहित 66 अन्य देश और यूरोपीय संघ (EU) वैश्विक प्लास्टिक समस्या को संबोधित करने के लिए इसकी संरचना, उत्पादन, उपभोग और जीवन-काल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत करते हैं।
- सऊदी अरब, रूस और ईरान जैसे महत्वपूर्ण तेल तथा गैस हितों वाले देश जीवाश्म ईंधन और रासायनिक उद्योग समूहों के साथ प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा आरोपित करनें के स्थान पर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं।

स्रोत:

- द हिंदू: प्लास्टिक प्रदूषण संधि वार्ता पर एक संक्षिप्त परिचय
- द हिंदू: प्लास्टिक पर नियंत्रण की लागत को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता: भारत